

प्रसार भारती / PRASAR BHARATI
(भारत का लोक सेवा प्रसारक) / (INDIA'S PUBLIC SERVICE BROADCASTER)
दूरदर्शन महानिदेशालय / DG: DOORDARSHAN
कॉपेर्निकस मार्ग / COPERNICUS MARG,
नई दिल्ली / NEW DELHI-110001

F.No. 904/51/2022-23/APIO/RTI/CAPIO/CPIO/FAA/12

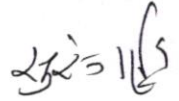
Dated : 04.06.2025

कार्यालय आदेश / Office Order

विषय/Subject : दूरदर्शन के एस-IV अनुभाग के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी के नामांकन
हेतु। /Declaration of FAA for S-IV Section, DG:DD.

महानिदेशालय: दूरदर्शन कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.05.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत महानिदेशालय दूरदर्शन के एस-IV अनुभाग से संबंधित सभी आरटीआई मामलों के संबंध में श्री रविन्द्र गोयल, उप-महानिदेशक (अभि.) (ई-एचआर), डीजी:डीडी को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है।

In partial modification of DG:DD office Order even number dated 20.05.2024, Shri Ravindra Goyal, Dy. Director General (Engg.) (E-HR), DG:DD is designated as First Appellate Authority, under Section 19(1) of Right to information Act, 2005 in respect of all RTI matters pertaining to **S-IV Section** of DG: Doordarshan.



(Surender Singh)
Dy. Director General (Admn.) & CPIO (RTI)

To,

1. श्री रविन्द्र गोयल, उप-महानिदेशक (अभि.) (ई-एचआर) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, एस-IV अनुभाग, डीजी:डीडी, नई दिल्ली / Shri Ravindra Goyal, Dy. Director General (Engg.) (E-HR) & First Appellate Authority, S-IV Section, DG:DD, New Delhi.
2. श्री आशेष कुमार, उप-निदेशक (प्रशा.) (ई-एचआर) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, एस-IV अनुभाग, डीजी:डीडी, नई दिल्ली / Shri Ashesh Kumar, Dy. Director (Admn.) (E-HR) & CPIO, S-IV Section, DG:DD, New Delhi.

Copy to :-

- ✓ 1. केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, प्रसार भारती सचिवालय को अनुरोध है कि उपरोक्त अधिकारी आदेश को आर.टी.आई वेबपेज और ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड पर अपलोड किया जाए। / CPIO, Prasar Bharati Sectt. with a request to upload the above Office Order on the RTI webpage and e-office notice board.